न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या – 42 / 2024

अनवान : –

1. राजेन्द्र पुत्र गुगनराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
2. दौलतराम पुत्र गुगनराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।

– प्रार्थीगण

बनाम्

1. गुगनराम पुत्र हरजीराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
2. विनोद कुमार पुत्र गुगनराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
3. माया पुत्री गुगनराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
4. शकुन्तला पुत्री गुगनराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा नोहर तहसील नोहर।
7. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

8. विमला पुत्री गुगनराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।

– तरतीबी अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा</u>
<u>अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.</u>

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **सायल**
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **गैरसायल**

<u>निर्णय</u> दिनांकः 06/05/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के खाता सं. 26 / 27 के ख.न. 170 की 9.8260 हैक्टर भूमि ख.न. 180 की 1.2390 हैक्टर भूमि ख.न. 281 / 2 की 1.7830 हैक्टर भूमि कुल 3 खसरेजात की 128480 हैक्टर भूमि स्थित है जिसके गैरसायल सं. 1 खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के खाता सं 28 / 27 के ख.न. 170 की 9.8260 हैक्टर भूमि, ख.न. 180 की 1.2390 हैक्टर भूमि, ख.न. 281 / 2 की 1.7830 हैक्टर भूमि कुल 3 खसरेजात की 12.8480 हैक्टर भूमि हरजी वल्द तारूराम की अर्जित भूमि है गैरसायल सं. 1 ने कर्ता खान दान होने के नाते वाद भूमि अपने अकेले के नाम अनुचित तौर से दर्ज करवा ली जबकि उक्त भूमि में सायलान व गैरसायलान सं. 2 ता 4 दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादी सं. 7 गैरसायल सं. 1 के साथ सहखातेदार काश्तकार है अर्थात कोपासर्नर है तथा वाद भूमि हिन्दु मुश्तरका खान दान की जददी जायदाद है तथा उक्त भूमि में सायलान का व गैरसायलान सं. 2 ता 4 व तरतीबी गैरसायल सं. 8 का पैदायशी हक व हिस्सा है वाद भूमि में वादी सं. 1 का 1 / 7 हिस्सा, वादी सं. 2 का 1 / 7 हिस्सा व गैरसायल सं. 2 का 1 / 7 गैरसायल सं. 3 का 1 / 7 हिस्सा, गैरसायल सं. 4 का [illegible] गैरसायल सं. 8 का 1 / 7 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है गैरसायल सं. 1 [illegible] राजस्व रिकार्ड से कलमजन करवाकर सायलान व गैरसायलान तरतीबी गैरसायल सं. 8 [illegible] भूमि उपरोक्त हक व हिस्सा के अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। उपरोक्त आशयों [illegible] सायलान घोषणा [illegible] का मजाज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:09:23 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

गैरसायल सं. 1 की दो शादीया की हुई थी, सायलान व तरतीबी गैरसायल सं. 8 की माता भंवरी देवी फौत हो चुकी है तथा गैरसायल सं. 1 दुसरी शादी गुडी देवी से की जो गैरसायलान सं. 2 ता 4 की माता है गैरसायल सं. 1 गैरसायलान सं. 2 ता 4 व उनकी माता गुड़ी देवी के जैरअसर है तथा सायलान व तरतीबी गैरसायल सं. 8 के गैरसायलान सं. 1, 2 ता4 वाद भूमि में उनके पैदायशी हक व हिस्से से महरूम रखना चाहते है तथा गैरसायल सं. 1 गैरसायलान 2 ता 4 व उनकी माता गुडी देवी के बहकावे में व उनके जैरअसर है । वाद भूमि गैरसायल सं. 1 गैरसायलान सं. 2 ता 4 अकेलो के नाम अनुचित तरीके से करवाना चाहता है, जबकि वाद भूमि हिन्दु मुश्तरका खानदान की जददी जायदाद है गैरसायलान सं. 1 के साथ सायलान व तरतीबी गैरसायल सं. 8 व गैरसायलान सं. 1 ता 4 एक दुसरे के सहखातेदार काश्तकार है यदि गैरसायल सं. 1 गैरसायलान सं. 2 ता 4 के नाम भूमि रकवा देता है तो सायलान व तरतीबी गैरसायल सं. 8 को अपूर्णीय क्षति होती है तथा ना पुरा होने वाला नुक्शान होता है इसलिए सायलान गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवापाने का अधिकारी है कि गैरसायलान वाद भूमि को रहन/बैय व मुन्तकिल करने से निषिद्ध रहे तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाऐ रखे, सायलान उपरोकत आशयों की घोषणा करापाने के अधिकारी है।

लिहाजा यह प्रार्थना–पत्र मय हल्फनामा सायलान पेश कर निवेदन है कि ताफैसला दावा गैरसायलान के खिलाफ इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमावे कि रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के खाता सं. 28/27 के ख.न. 170 की 9.8260 हैक्टर भूमि, ख.न. 180 की 1.2390 हैक्टर भूमि, ख.न. 281/2 की 1.7830 हैक्टर भूमि कुल 3 खसरेजात की 12.8480 हैक्टर भूमि को गैरसायलान रहन/बैय व मुन्तकिल करने से निषिद्ध रहे एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता स0 28/27 की कुल 12.8480 हैक्ट भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी स0 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा इस आशय का पेश किया की प्रतिवादी स0 1 के नाम उक्त भूमि सही तौर से दर्ज हुई है एवं अप्रार्थी स0 1 के जीवनकाल में किसी का कोई हक हिस्सा नही है। उक्त भूमि गैरसायल स0 1 की स्वयं अर्जित भूमि है एवं अप्रार्थी स0 1 उक्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार है अत अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते हैः–

1. प्रथम दृष्टया मामला :– प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वाद पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से विश्वास करने का प्रर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त अराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त [illegible] है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया अराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो [illegible] मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जावें क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:09:23 IST
Reason: SelfAttested

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि [illegible]ग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज है एवं पूर्व में अप्रार्थी स0 1 के पिता व प्रार्थी के पूर्वजों के नाम दर्ज रही है

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

और उनके बाद सायल के पिता यानि की अप्रार्थी संख्या 1 नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है अर्थात विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है। वादग्रस्त भूमि पैतृक है। हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि को पैतृक, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्डेड खातेदार को भी निषिद्ध किया जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

2. सुविधा का सन्तुलन– सुविधा के सन्तुलन से तात्पर्य है कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या अप्रार्थी को। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी स0 1 विवादित अराजी का काश्तकार है परन्तु पैतृक भूमि होने के कारण प्रार्थीगण का भी वादग्रस्त भूमि में जन्मजात हक व हिस्सा है।। प्रार्थीगण का अप्रार्थी0 1 के विरूद्ध दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। ऐसी स्थित में न्यायालय के अभिमत में यदि अराजी को बैय की जाती है तो प्रार्थीगण को असुविधा होगी क्योंकि प्रार्थी का भी उक्त पैतृक भूमि में हक व हिस्सा है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

3. अपूर्णीय क्षति– अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक तात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नही की जा सकती। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी एवं अप्रार्थी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है अतः अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को होगी न की अप्रार्थी को।

अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के खाता सं. 28/27 के ख.न. 170 की 9.8260 हैक्टर भूमि, ख.न. 180 की 1.2390 हैक्टर भूमि, ख. न. 281/2 की 1.7830 हैक्टर भूमि कुल 3 खसरेजात की 12.8480 हैक्टर भूमि अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में प्रार्थीगण के हक व हिस्से की हद तक न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 06/05/26 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:09:23 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर